न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– सुरेश चौधरी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
73 / 2017 / प्रा.पत्र / 2017	27.09.2017	20.09.2024

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री प्रदीप पाटिल पुत्र श्री रामचन्द्र पाटिल निवासी 106ए, सुकलीया इन्दौर मध्यप्रदेश असिस्टेंट मैनेजर मैसर्स रिकॉन ऑयल इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 प्लॉट नं0 एच–157–158, आई. आई.डी सेन्टर निवाई जिला टोंक।
2–श्री अवनीश आर. सिंह नॉमिनी मैसर्स रिकॉन ऑयल इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 प्लॉट नं0 एच–157–158, आई.आई.डी सेन्टर निवाई जिला टोंक।
3–मैसर्स रिकॉन ऑयल इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 प्लॉट नं0 एच–157–158, आई.आई.डी. सेन्टर निवाई जिला टोंक राज0।

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री शिवराज चांगल उपस्थित।

:–निर्णय–: दिनांक 20.09.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनाक 19.07.2017 को समय 05:15 पीएम पर मैसर्स रिकॉन ऑयल इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 प्लॉट नं0 एच–157–158, आई.आई.डी सेन्टर निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एव विक्रेता की हैसियत से श्री प्रदीप पाटिल पुत्र श्री रामचन्द्र पाटिल अपने प्रतिष्ठान मैसर्स रिकॉन ऑयल इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 प्लॉट नं0 एच–157–158, आई.आई.डी सेन्टर निवाई पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री प्रदीप पाटिल पुत्र श्री रामचन्द्र पाटिल को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री प्रदीप पाटिल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का असिस्टेंट मैनेजर होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र दिखाया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में लगभग 172 कार्टून पैक्ड अवस्था में कच्ची घाणी सरसों तेल तेज ब्राण्ड के पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 500–500 एम.एल. पैक के **कच्ची घाणी सरसों तेल (तेज ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री प्रदीप पाटिल को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री प्रदीप पाटिल एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह **कच्ची घाणी सरसों तेल (तेज ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर 200बी03टी3 एवं पैकिंग की दिनांक 19.07.2017 थी, ज्यों का त्यों पैक्ड अवस्था में 500 एम.एल.पैक के 4 मूल पैक बोतल वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 500–500 एम.एल. के 4 मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **कच्ची घाणी सरसों तेल (तेज ब्राण्ड)** के खरीदशुदा 500–500 एम.एल. के 4 मूल पैक को एक–एक नग के बराबर–बराबर चार भार तैयार कर, नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियामनुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1698 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1698 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री प्रदीप पाटिल पुत्र श्री रामचन्द्र पाटिल असिस्टेन्ट मैनेजर मैसर्स रिकॉन ऑयल इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 प्लॉट नं0 एच–157–158, आई.आई.डी. सेन्टर निवाई टोंक को आवेदक द्वारा पत्र प्रेषित कर उक्त फर्म का नॉमिनी रजि0 फार्म/प्रोपरायटर/डायरेक्टर/पार्टनर संबंधी दस्तावेज चाहने पर प्रत्युतर में रजि0 फार्म नं0 9 प्रस्तुत कर श्री अवनीश आर. सिह को उक्त फर्म का नॉमिनी होना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/17/3770 दिनांक 28.07.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/506/एक्ट/2017/504 दिनांक 24.07.2017 के अनुसार विक्रेता से वास्ते

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

नमूना जांच कय किया गया **कच्ची घाणी सरसों तेल (तेज ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(A)(i)(a) व 3(1)(zf)(B)(ii)के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री शिवराज चांगल उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी सही प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया हैं। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **कच्ची घाणी सरसों तेल (तेज ब्राण्ड)** विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण के अभिभाषक एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **कच्ची घाणी सरसों तेल (तेज ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 20.09.2024 से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(सुरेश चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0